## प्रकरण क्रमांक 23 / 13 विद्युत

17.05.2018

परिवादी द्वारा श्री ए०के० श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

आरोपी रामनारायण अनुपरिथत।

जारी वारंट अदम तामील पेश। तामील कुलिंदा हरी सिंह बघैल उपस्थित। उसका फरारी कथन लिया गया। साक्षी द्वारा अपने कथन में बताया कि उसके द्वारा आरोपी को गिरफतार करने के भरसक प्रयास किये गये किंतु आरोपी के फरार हो जाने से वह नहीं मिला और वह काफी समय से फरार है और निकट भविष्य में उसके मिलने की कोई संभावना नहीं है।

अतः साक्षी के कथनों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को फरार घोषित किया जाता है। आरोपी का स्थाई गिरफतारी वारंट जारी हो।

प्रकरण का सार अंकित पंजी कर दाखिल अभिलेखागार हो।

> (सतीश कुमार गुप्ता) विशेष न्यायाधीश विद्युत गोहद जिला भिण्ड म.प्र.